



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 माघ 1939 (श10)  
(सं0 पटना 134) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2018

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 फरवरी 2018

सं० बी1-3-19/2018-07—बिहार विधान सभा, 2018 के उप निर्वाचन के अवसर पर 216—जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 205—ममुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु.-1/बिहार-वि.स./1/2017 दिनांक 13.02.2018 एवं अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु.-1/बिहार-वि.स./2/2017 दिनांक 13.02.2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सोहन कुमार ठाकुर,  
अपर सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 13 फरवरी, 2018/24 माघ, 1939(शक)

सं० 100/पूर्व.अनु-1/बिहार-वि.स./1/2017- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 216-जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मुद्रिका सिंह यादव का निधन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 216-जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 16 मार्च, 2018 (शुक्रवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधानसभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- |  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख                     | : | 20 फरवरी, 2018 (मंगलवार)  |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख                   | : | 21 फरवरी, 2018 (बुधवार)   |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख               | : | 23 फरवरी, 2018 (शुक्रवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा         | : | 11 मार्च, 2018 (रविवार)   |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | : | 16 मार्च, 2018 (शुक्रवार) |

नियत करता है; और

(इ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,  
सुमित मुखर्जी,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. Dated 13<sup>th</sup> February, 2018/Magha, 1939 (Saka)*

**No. 100/ES-1/BR-HP/1/2017—WHEREAS**, the seat of **Sh. Mundrika Singh Yadav**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **216-Jehanabad** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **24<sup>th</sup> October, 2017** by reason of his death; and

**2. WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

**3. NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the said **216-Jehanabad** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the **16<sup>th</sup> March, 2018 (Friday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the said Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election:-

- the **20<sup>th</sup> February, 2018 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
- the **21<sup>st</sup> February, 2018 (Wednesday)**, as the date for the scrutiny of nominations;
- the **23<sup>rd</sup> February, 2018 (Friday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the **11<sup>th</sup> March, 2018 (Sunday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- the **16<sup>th</sup> March, 2018 (Friday)**, as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from **07:00 A.M to 05:00 P.M** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,  
**SUMIT MUKHERJEE,**  
**PRINCIPAL SECRETARY,**  
**ELECTION COMMISSION OF INDIA.**

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 13 फरवरी, 2018/24 माघ, 1939(शक)

सं० 100/पूर्व.अनु.-1/बिहार-वि.स./2/2017- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 205-भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री आनन्द भूषण पाण्डेय का निधन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2017 से उनका स्थान रिक्त हो गया है, और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) बिहार राज्य से उक्त 205-भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 18 मार्च, 2018 (शुक्रवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तर्दीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधानसभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	20 फरवरी, 2018 (मंगलवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	:	21 फरवरी, 2018 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थाएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	:	23 फरवरी, 2018 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	11 मार्च, 2018 (रविवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	16 मार्च, 2018 (शुक्रवार)

नियत करता है; और

(इ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,  
सुमित मुखर्जी,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. Dated 13<sup>th</sup> February, 2018/Magha, 1939 (Saka)*

**No. 100/ES-1/BR-HP/2/2017—** WHEREAS, the seat of **Sh. Anand Bhushan Pandey**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **205-Bhabua** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **30<sup>th</sup> November, 2017** by reason of his death; and

**2. WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy ;

**3. NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) calls upon the said **205- Bhabua** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the **16<sup>th</sup> March, 2018 (Friday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the said Legislative Assembly of the State;
- (B) appoints, with respect to the said election:-
- (a) the **20<sup>th</sup> February, 2018 (Tuesday)**, as the last date for making nominations;
- (b) the **21<sup>st</sup> February, 2018 (Wednesday)**, as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the **23<sup>rd</sup> February, 2018 (Friday)**, as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the **11<sup>th</sup> March, 2018 (Sunday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the **16<sup>th</sup> March, 2018 (Friday)**, as the date before which the election shall be completed; and

- (C) fixes the hours from 07:00 A.M to 05:00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,  
SUMIT MUKHERJEE,  
PRINCIPAL SECRETARY,  
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 134-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>